UPME010032012026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

उपस्थित–अनुपम कुमार, एच0जे0एस0

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–888/2026

सत्यम सैनी उर्फ अंकित सैनी पुत्र सर्वेश कुमार सैनी, निवासी–20/21, रामबाग कालोनी बागपत रोड, थाना–रेलवे रोड, जिला–मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–18/2026
अं0धारा–109(1),115(2),352,3(5)
बी0एन0एस0 व धारा–3/25/27(1)
आयुध अधिनियम
थाना–जानी, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से..... श्री नितिन रूहेला, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

दिनांक–16.03.2026

1– प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त सत्यम सैनी उर्फ अंकित सैनी की ओर से मुकदमा अपराध सं0–18/2026, अं0धारा–109(1), 115(2),352,3(5) बी0एन0एस0 व धारा–3/25/27(1) आयुध अधिनियम, थाना–जानी, जनपद–मेरठ के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

2– जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक अनुसार दिनांक 11.01.2026 को समय 21.30 बजे अभियुक्त सत्यम सैनी द्वारा अपने अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई संजय पर जान से मारने की नीयत से गोली मार दी, जो उसके पेट में लगी।

4— प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है। कथित घटना का कोई निष्पक्ष व स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसे राजनीतिक पार्टीबजी के आधार पर रंजिशन झूठा नामजद किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि मेरा भाई संजय समय 09.30 बजे घर का सामान लेकर शहर से गाँव आ रहा था, तभी मेरे मामा के लड़के सचिन का मुकदमा वादी के भाई के पास फोन आया कि मेरा झगड़ा सार्थक सिटी में हो गया है, जिसकी सूचना पर मुकदमा वादी का भाई सार्थक सिटी पर पहुँचा, तो वहां पर खड़े सत्यम सैनी ने अपने हाथ में ली हुई पिस्टल से गोली मार दी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध की घटना का समय 21.30 बजे अंकित है, जिससे घटना का होना संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त कारणों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर कथित घटना कारित की गयी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विस्तृत तर्कों को सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7— प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई के साथ मारपीट करने व उसपर जान से मारने की नीयत से फायर किये जाने का आरोप हैं। चोटहिल संजय की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी हैं :–

1. Bullet injury on left hypochondriac region entry wound 2cm x 2cm no exist wound.

2. Bullet injury on right lumber region entry wound 2 x 2cm no exit wound.

3. Bullet injury on right iliac region entry wound 2 x 2cm exit wound 2 x 2cm over left lumber. Opinion- Patient refer to surgy deep for further management. केस डायरी में मजरूब संजय उर्फ मिट्टा के बयान का विवरण दिया गया है, जिसमें उसके द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट

करने व उस पर जान से मारने की नीयत से फायर किये जाने के आरोप लगाये गये हैं। केस डायरी में वादी मुकदमा, चश्मदीद साक्षी सचिन व राजकुमार के बयान का विवरण दिया गया है, जिनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। घटनास्थल से दो खोखा कारतूस की बरामदगी दर्शायी गयी है। केस डायरी में कथित घटना के संबंध में सी0सी0टी0वी0फुटेज का विवरण दिया गया है, जिसमें अभियुक्तगण पीड़ित के साथ मारपीट करते हुए दर्शाये गये हैं। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त सत्यम सैनी उर्फ अंकित सैनी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशांदेही पर कथित घटना में प्रयुक्त एक अवैध अस्लाह पिस्टल .32 बोर की बरामदगी दर्शायी गयी है। इस प्रकार विवेचक द्वारा जो साक्ष्य संकलित की गयी है, उससे प्रथमदृष्टया प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता इस मामले में प्रकट होती है। केस डायरी में उपलब्ध अन्य साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। विवेचना प्रचलित है और प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने से विवेचना प्रभावित हो सकती है। सह–अभियुक्तगण सागर कुमार, आयुष व अंकित के नियमित जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 24.02.2026 को सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं।

8– अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का कोई न्यायोचित एवं न्यायसंगत आधार प्रकट नहीं होते हैं। तद्नुसार प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सत्यम सैनी उर्फ अंकित सैनी का मुकदमा अपराध सं0–18/2026, अं0धारा–109(1),115(2),352,3(5) बी0एन0एस0 व धारा–3/25/27(1) आयुध अधिनियम, थाना–जानी, जनपद–मेरठ में प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–888/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 16.03.2026

(अनुपम कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-1902

Saurabh (P.A.)

Digitally signed by ANUPAM KUMAR
Date: 2026.03.16 16:50:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court